

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/ 459
दिनांक : 17/6/21

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य,
बी०एम० कालेज ऑफ एजुकेशन,
करेक्ट, जिला-शामली।

महोदय,
कृपया अपने पत्र दिनांक 31.03.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

<u>S.N.</u>	<u>Name</u>	<u>Design</u>	<u>Qualification</u>	<u>Univ. Expert</u>
1-	Ravinder Singh	Asst. Prof.	M.A., M.Ed. NET	Dr. Ajay Kumar Meerut College, Meerut Dr. Poonam Sharma J.V. Jain College, SRE ----- do ----- ----- do ----- ----- do -----
2-	Dinesh Kumar	Asst. Prof.	M.A. M.Ed. NET	Dr. Nisha Gupta
3-	Rahul Sharma	Asst. Prof.	M.A. M.Ed. NET	J.K.P. Muzaffarnagar
4-	Jagdeep Singh	Asst. Prof.	M.Sc. M.Ed. NET	Dr. Vandana Verma
5-	Giriraj Prasad Prajapat	Asst. Prof.	M.A. (Fine Arts) NET	J.K.P. Muzaffarnagar Dr. Vandana Aggarwal R.G. College, Meerut Dr. Sumam Lata Sharma R.G. College, Meerut
6-	Chetan Prakash Lodha	Asst. Prof.	M.A. (Music) NET	

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/ यू०जी०सी०/ एन०सी०टी०ई०/ बी०सी०आई०/ एम०सी०आई०/ एन०सी०आई०/ सी०सी०आई०एम०/ ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/ त्यागपत्र/ निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्रावधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/ महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/ 2970
दिनांक : 06-08-2019

सेवा में,
सचिव,
बी०एच० कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
करंदू, शिंझाना, शामली।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 27.11.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्वदत्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०एच० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को प्राचार्य एवं असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है -

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Dr. Raj Kishore Pathak	Principal	M.A., M.Ed. Ph.D. (90)	Prof. Suraksha Pal (Retd.) CCS University, Meerut Dr. Naresh Malik CCRD College, MZN Dr. Virender Singh D.J. College, Baraut
2-	Bhoopendra Singh Niranjan	Asst. Prof.	M.Sc. M.Ed. NET (09)	Prof. Suraksha Pal (Retd.) CCS University, Meerut Dr. B.P. Singh Lalpur Hapur
3-	Jai Karan Singh	Asst. Prof.	M.A. M.Ed. NET (14)	— do —
4-	Anandra Kumar	Asst. Prof.	M.Sc. M.Ed. NET	— do —

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्वदत्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०एच० पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को प्राचार्य एवं असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/ यू०जी०सी०/ एन०सी०टी०ई०/ बी०सी०आई०/ एन०सी०आई०/ एन०सी०आई०/ सी०सी०आई०एम०/ ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार तीन वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मूल्य/ त्यागपत्र/ निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे प्राचार्य एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/ महाविद्यालय का होगा। चयनित प्राचार्य एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहाय कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव